संख्या-863/2026/2325/22-2-2025-17(1015)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 जुलाई, 2026

विषयः- जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सईद पुत्र श्री सुल्तान, निवासी जनपद-सुलतानपुर वर्तमान जनपद-अमेठी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-43383/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-11.11.2025, दिनांक 24.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सईद पुत्र श्री सुल्तान, जो मरदानपुर, थाना-बाजार शुक्ल, जनपद-सुल्तानपुर वर्तमान जनपद-अमेठी का निवासी है। बन्दी द्वारा सामान्य उद्देश्य से एक गैर कानूनी सभा बनाकर दिनांक 07/08-02-1984 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-240/1985, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, सुलतानपुर के दण्डादेश दिनांक 16.12.1986 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 05-06-2020 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 07-10-2020 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्याायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.02.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष 09 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 06 माह 11 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, अमेठी द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने जैसा अपराध होने, भविष्य में अपराध करने के अवसर से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी द्वारा पूर्व किये गये अपराध को देखते हुए जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा पुलिस अधीक्षक, अमेठी की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी सईद पुत्र श्री सुल्तान की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा पुनर्विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 20.02.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 09 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 06 माह 11 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

कारित जघन्य अपराध (03 व्यक्तियों की हत्या) एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सईद (बन्दी संख्या-44/2020) पुत्र श्री सुल्तान, निवासी जनपद-अमेठी की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-863/2026/2325(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी।
2- पुलिस अधीक्षक, अमेठी।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, सुलतानपुर।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।